

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'न्याय की देवी' की नई प्रतमा का अनावरण

[स्रोत: हट्टुस्तान टाइम्स](#)

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नरिदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में 'न्याय की देवी' (लेडी ऑफ जस्टिस) की नई प्रतमा का अनावरण कया गया ।

- प्रतमा की आँखों पर पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इसे खोल दया गया है और एक हाथ मे तराजू तो है पर दूसरे हाथ में संवधान पकड़े दखिया गया है, जो यह दर्शाता है क भारत में कानून सूचित है और प्रतशिोध से प्रेरति नहीं है ।

'न्याय की देवी' की नई प्रतमा के बारे में:

- न्याय की देवी एक रूपकात्मक आकृति है जो न्यायिक प्रणालियों के भीतर नैतिक अधिकारों का प्रतनिधित्व करती है ।
 - इसे अक्सर पुरुडेनशया के साथ दर्शाया जाता है, जो बुद्ध और वविक का प्रतनिधित्व करने वाला एक अन्य प्रतीकात्मक चतिर है ।

पारंपरिक चतिरण:

- परंपरागत रूप से, आँखों पर पट्टी वधिके समक्ष समानता का प्रतीक है, जिसका अर्थ है क न्याय, इसमें शामिल पक्षों की संपत्ति, शक्ति या स्थिति से प्रभावति हुए बनिा, नषिपक्ष रूप से कया जाना चाहये ।
- ऐतहासिक रूप से तलवार कानून के अधिकार और अपराधों को दंडति करने की उसकी शक्ति का प्रतनिधित्व करती थी ।

नई प्रतमा:

- 'न्याय की देवी' ने पश्चिमी लबिस की बजाय अब साड़ी पहनी है, जो भारतीय सांस्कृतिक पहचान तथा औपनिवेशिक प्रभावों से हटकर, भारतीय दंड संहति (IPC), दंड प्रक्रया संहति (CrPC) जैसे औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतस्थापति करने को दर्शाती है ।
- परविरतनों के बावजूद, न्याय की तराजू को 'न्याय की देवी' के दाहनि हाथ में बरकरार रखा गया है, जो सामाजिक संतुलन का प्रतनिधित्व करता है तथा कसिी नरिणय पर पहुँचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को सावधानीपूर्वक तौलने के महत्त्व को दर्शाता है ।

और पढ़ें: [नए अपराधिक कानून लागू](#)